फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **उप खण्ड अधिकारी** मुकाम **सूरजगढ़**

राज0 सरकार **बनाम** **विनोद कुमार**

किस्म मुकदमा धारा 177 **आर.टी.एक्ट** मुकदमा न0 **291/2021**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.07.2022	आज यह पत्रावली प्रतिवादीया विनोद कुमार की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री संदीप मान एड. ने मिसल तलबी का प्रार्थना पत्र पेश करने पर तलब की गई। अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र 09 रूल 07 सीपीसी पेश किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी को सुना गया। उनका कथन है कि प्रतिवादी/ प्रार्थीगण के खिलाफ मौजुदा वाद में दिनांक 20.12.2021 को गलत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही अमल की गई। उन्हें मौजुदा वाद में कभी तामिल नोटिस नहीं गया। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को जवाबदावा का अवसर प्रदान करें। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रकरण में प्रतिवादीगण की तामील चस्पांदगी से करवाई गई है न्यायहित में प्रतिवादी का प्रार्थनापत्र आदेश 09 रूल 7 सी.पी. स्वीकार किया जाकर जवाबदावा का अवसर दिया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा पेश किया गया। बहस सुनी गई। प्रतिवादी अधिवक्ता का कथन है कि प्रतिवादी ने वादवर्णित कृषि भूमि का कभी भी स्वरूप नहीं बदला। प्रतिवादी ने अपनी उक्त कृषि भूमि के एक भाग का पट्टा बनवाने हेतु पत्रावली नगरपालिका में सूरजगढ़ में विचाराधीन है। इन्मप्रमेंट होल्डिंग के लिए मकान बना रखे है। बाकी कृषि भूमि को कृषि उपयोग में ही लेता रहा है। तथा सम्पर्ण भूमि का संपरिवर्तन करवाने को तैयार है। यह कहना गलत है कि प्रतिवादी ने राजस्थान काश्तकारी कानून के प्रावधानों व टिनेन्सी की शर्तो को भंग किया हो एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म परिवर्तन की हो। यह कहना भी गलत है कि राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान किया हो। दावा गलत पेश होने से खारिज योग्य है। वादी कोई स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसलिए वादी को कारण वाद पैदा नहीं होने से वाद खारिज योग्य है। अतः वाद वादी इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। मौजुदा प्रकरण संपरिवर्तन योग्य है। चूंकि वादी भूमिधारी तहसीलदार स्वयं भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए के तहत किस्म परिवर्तित करने, बेदखली की कार्यवाही करने में सक्षम है इसलिए वादी को कारण वाद पैदा नहीं होने से मौजुदा वाद खारिज योग्य पाया जाता है। अतः वाद वादी इसी स्टेज पर खारिज किया जाकर तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए की सपठित धारा 91 के तहत कार्यवााही करें। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ	

Scanned with Oken Scanner